# न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | रजि0 नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12/76/2021 | 2021/139 | 16.04.2021 | 28.06.2022 |

01. शेरसिंह पुत्र स्व0 श्री नेतसिंह, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम जनकसिंहपुरा, तहसील नीमराना, जिला अलवर राज0।

–अपीलांट

**बनाम**

01. सरकार जरिये तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर राज0।

–रैस्पोडेण्ट

**अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार नीमराना दिनांक 21.01.2021 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 51/2021**

**उपस्थितः– कोई उपस्थित नहीं।**

**–:निर्णयः–**

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 21.01.2021 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम जनकसिंहपुर के आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 0.32 है0 के 0.01 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर अवैध कब्जा करने पर अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम जनकसिंहपुर के आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 0.32 है0 के 0.01 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 04.01.2021 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नं0 74 के दक्षिण छोर पर अपने पुख्ता मकान पर निवास करते चले आ रहे है। गैरमु0 विवादित रास्ते से अपने रिहायशी मकान में आवागमन के लिए मकान के सामने तरफ दक्षिणी ओर विवादित आम रास्ते के मध्य करीब 3–3 फुट निजी भुमि खाली छोडी गई थी। उस रास्ते से लगते हुए तरफ दक्षिण ओर ग्राम के रहवासियों द्वारा अपने अपने रिहायशी मकान बना रखे है। जिनके सामने तरफ उत्तरी ओर स्थित गैर मु0 रास्ता खसरा नं0 42 की भुमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अपने रिहायशी मकान में शामिल की गई है। पटवारी हल्का जनकसिंहपुर बहुत ही भ्रष्ट बेईमान प्रवृती का व्यक्ति है जिसके द्वारा गांव के काफी लोगो से उनके कदमी रिहायशी मकानात गैरकानूनी बताकर अवैध वसूली की जा रही है। अपीलान्ट द्वारा वांछित राशी नहीं देने पर अतिक्रमी मानकर रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2021 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। दिनांक 16.03.2021 को जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा बिना देरी के अपील पेश की गई है। पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 21.01.2021 अपास्त फरमाया जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 21.01.2021 के विरूद्ध दिनांक 05.04.2021 को पेश किया। जो करीब 2 माह 14 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। फिर भी न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 05.04.2021 को भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व निर्णय दिनांक 21.01.2021 में भी अपीलान्ट को अतिक्रमी होने के कारण भौतिक रूप से बेदखल व पेनल्टी से दण्डित किया गया था।

जिला कलक्टर, अलवर

तहसीलदार नीमराना द्वारा अपीलान्ट का विवादित आराजी पर पुनः अतिक्रमण होने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण अपीलान्ट को 3 माह के सिविल कारावास व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। जिससे अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्व होता है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार नीमराना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

**निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)